प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-50/2026 दिनांक 19.02.2026)
दिनांक-19.02.2026 को जनपद कुशीनगर पुलिस द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-

लूट की घटना का पर्दाफाश: घटना में शामिल चार अभियुक्तों को लूट का माल(अनुमानित कीमत करीब 10 लाख रुपये) एवं अवैध असलहे के साथ किया गया गिरफ्तार-

दिनांक 14.02.2026 की शाम को थाना नेबुआ नौरंगिया पर सूचना प्राप्त हुई कि वादी/पीडित भीम वर्मा पुत्र श्रीनिवास वर्मा, निवासी सेमरा (थाना नेबुआ नौरंगिया), अपनी दुकान अनीश ज्वेलर्स, देवतहा बाजार को बंद करके घर लौट रहे थे। इसी दौरान कुछ अज्ञात बदमाशों अपनी कार(वाहन) से उनकी मोटरसाइकिल में जानबूझकर टक्कर मारी, उन्हें गिरा दिया और असलहे के दम पर उनके पास मौजूद सोने-चांदी के आभूषणों से भरा बैग लेकर फरार हो गए।

सूचना पर घटना संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार द्वारा थाना नेबुआ नौरंगिया पर मु0अ0स0 41/2026 पंजीकृत कराया गया तथा अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी खड्डा श्री वीरेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में घटना के शीघ्र अनावरण हेतु कुल 06 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों द्वारा घटना के सभी पहलुओं, सीसीटीवी फुटेज तथा अन्य तकनीकी साक्ष्यों के माध्यम से गहन जांच की गई, जिसके क्रम में आज दिनांक 19.02.2026 को स्वाट ,थाना नेबुआ नौरंगिया, थाना खड्डा, थाना जटहाँ बाजार, डायल 112 तथा साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा घटना का अनावरण करते हुए घटना में सम्मिलित चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से लूटे गये सोने व चांदी के आभूषण, नकद 5000/- रूपये, अपराध में प्रयुक्त दो मोटरसाइकिल, 04 मोबाइल फोन व 08 अदद विभिन्न कम्पनियों के सिम तथा अभियुक्तगण के पास से 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर मय 05 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर, व 02 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर मय 05 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर की बरामदगी किया गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

Edit with WPS Office

पूछ-ताछ का विवरण-
पूछ-ताछ के क्रम में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते है। इनके द्वारा विगत 6 महीनों से किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे थे। गिरोह के सदस्य गोकुल कुशवाहा उर्फ खरवान (जो थाना नेबुआ नौरंगिया क्षेत्र का ही निवासी है) द्वारा अपने गिरोह को पीड़ित भीम वर्मा की अनीश ज्वेलर्स दुकान के बारे में जानकारी दी गई। गोकुल ने दुकान की लोकेशन, मालिक के आने-जाने का समय और रूट की जानकारी साझा की। अभियुक्तों ने कई दिनों तक भीम वर्मा की दुकान और उनके घर जाने वाले रास्ते की रेकी की। उन्होंने रास्ते में पड़ने वाली सूनसान जगहों को चिन्हित किया, जहां लूट को अंजाम देना आसान हो। पूरी योजना सुनियोजित तरीके से बनाई गई थी। दिनांक 14 फरवरी 2026 की शाम को अभियुक्तों द्वारा सेन्ट्रो कार(स्लेटी कलर,नं0 BR01AW5532)से पीड़ित की मोटरसाइकिल में जानबूझकर टक्कर मारी। पीड़ित को गिराकर अस्लहे (हथियार) दिखाकर डराया-धमकाया और उनके पास मौजूद सोने-चांदी के आभूषणों से भरा बैग लूट लिया। इसके बाद वे फरार हो गए। पूछताछ में अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि लूट के दौरान उन्होंने अवैध हथियार (पिस्टल और तमंचे) का इस्तेमाल किया।

अनावरित अभियोग:-
मु0अ0सं0- 041/2026 धारा 309(4)/317(1)/3(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्तगण:-
1.महाप्रताप कुशवाहा उर्फ माया पुत्र सुदर्शन कुशवाहा निवासी देवतहा बाली थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर हाल पता शाम्भवी हास्पिटल भोरे थाना भोरे जनपद गोपालगंज बिहार
2.सत्येन्द्र कुमार पुत्र स्व0 राजमंगल प्रसाद निवासी टीकमपार थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया
3.गोकुल कुशवाहा उर्फ खरवान पुत्र श्रीनिवास कुशवाहा निवासी बलुअही थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
4.दिपान्शु कुमार श्रीवास्तव पुत्र जितेन्द्र श्रीवास्तव निवासी भोरे थाना भोरे जनपद गोपालगंज बिहार

बरामदगी का विवरण:-(आभूषणों की अनुमानित कीमत 10 लाख रुपये)

1- 40.92 ग्राम पीली धातु के भिन्न भिन्न आभूषण

Edit with WPS Office

2- 1.39 किग्रा0 सफेद धातु के भिन्न भिन्न आभूषण
3- 5000/- रुपये नगद
4- 02 अदद मोटरसाईकिल
5- 01 अदद अवैध पिस्टल .32 बोर मय 05 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर,
6- 02 अदद अवैध तमन्चा .315 बोर मय 05 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
7- 04 अदद मोबाइल फोन व 08 अदद सिम
8- सेन्ट्रो वाहन कार (स्लेटी कलर) BR01AW5532

अभि0 सत्येन्द्र कुमार का अपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 67/2018 धारा 354/452/504/506 भादवि0 थाना भाटपार रानी जनपद देवरिया
मु0अ0सं0 132/2023 धारा 302/34/397/411 भादवि0 व 3/25 आर्मस एक्ट थाना बनकटा जनपद देवरिया

अभि0 गोकुल का अपराधिक इतिहास
मु0अ0सं0 449/2023 धारा 363 भादवि थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर

बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीम:-
1. स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक श्री आशुतोष सिंह जनपद कुशीनगर
2. प्रभारी निरीक्षक श्री चन्द्र भूषण प्रजापति थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
3. प्रभारी निरीक्षक श्री गिरजेश उपाध्याय थाना खड्डा जनपद कुशीनगर मय टीम
4. प्रभारी निरीक्षक डायल 112 श्री रवि राय जनपद कुशीनगर मय टीम
5. साइबर सेल प्रभारी श्री मनोज पन्त जनपद कुशीनगर
6. आईजीआरएस सेल प्रभारी श्री अनिल कुमार यादव जनपद कुशीनगर
7. थानाध्यक्ष श्री आलोक कुमार थाना जटहा बाजार जनपद कुशीनगर मय टीम
8. उ0नि0 शन्नी दूबे प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद कुशीनगर मय टीम
9. उ0नि0 रामेश्वर यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर
10. उ0नि0 संदीप यादव थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर मय टीम
11. हे0का0 रणजीत यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
12. हे0का0 सनातन सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
13. हे0का0 संतोष सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office

14.हे0का0 राहुल सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
15.हे0का0 विरेन्द्र कुमार स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
16.का0 ऋषि पटेल स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
17.का0 शिवानन्द सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
18.का0 अंकित सिंह स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
19. हे0का0 चन्द्रशेखर यादव स्वाट टीम जनपद कुशीनगर
20.का0 प्रशान्त मिश्रा साइबर सेल जनपद कुशीनगर

नोट- सराहनीय कार्य करने वाले पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक कुशीनगर द्वारा 50,000/- रुपये के नकद पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया।

थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा गैंगेस्टर एक्ट से संबंधित अभियुक्त की संपत्ति (कीमत लगभग 50 हजार रुपये) को किया गया कुर्क-

पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री केशव कुमार के निर्देशन में जनपद कुशीनगर में कानून व्यवस्था को और सुदृढ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री सिद्धार्थ वर्मा के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तमकुहीराज श्री जयन्त कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 19.02.2026 को थाना बरवापट्टी पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट कुशीनगर से प्राप्त कुर्की का आदेश अन्तर्गत धारा 85 BNSS प्राप्त करके थाना तरयासुजान पर पंजीकृत मु0अ0सं0 01/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त आस मोहम्मद पुत्र डोमा निवासी जगदीशपुर पोस्ट पिपरा अगरवाँ थाना सेवरही जनपद कुशीनगर के घर पहुंच कर समक्ष गवाहान मा0 न्यायालय से प्राप्त कुर्की आदेश के अनुपालन मे अभियुक्त आस मोहम्मद द्वारा अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित सामान कीमत लगभग 50,000 रुपये कुर्क किया गया।

कुर्क की गयी सम्पत्ति–
अपराध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अर्जित सामान (कीमत लगभग 50,000/- रुपये)

कुर्की करने वाली टीम-
1. थानाध्यक्ष श्री दिनेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
2. व0उ0नि0 श्री संजय कुमार सिंह थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
3. का0 रामप्रकाश यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office

4. का0 कमलेश कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
5. का0 अमित कुमार थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
6. म0का0 प्रीती सोनकर थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर
7. म0का0 रश्मि यादव थाना बरवापट्टी जनपद कुशीनगर

थाना चौराखास पुलिस द्वारा चोरी का सफल अनावरण करते हुए चोरी गये तीन अदद बैटरी आदि सामान के साथ 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 19.02.2026 को थाना चौराखास पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 33/2026 से संबंधित चोरी की घटना का अनावरण करते हुए चोरी गये सामान आदि के साथ अभियुक्त बृजेश कुशवाहा पुत्र रामअशीष कुशवाहा निवासी रहसू जनोबी पट्टी पुरैना टोला थाना चौराखास जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है

पंजीकृत अभियोग-
मु0अ0सं0 33/2026 धारा 305(ए),317(2) बीएनएस थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-
बृजेश कुशवाहा पुत्र रामअशीष कुशवाहा निवासी रहसू जनोबी पट्टी पुरैना टोला थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

बरामदगी का विवरणः-
1- चोरी की तीन अदद बैटरी एमरान कम्पनी, एक केबल 5 बालिस्त
2- एक छिनी, एक पेचकस, एक पिलास, एक टेस्टर, तार काटने वाला कटर, पाँच रिंच छोटी बड़ी

गिरफ्तार करने वाली टीमः-
1. थाना प्रभारी श्री दिनेश कुमार साहनी थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
2. उ0नि0 श्री रामप्रगट मिश्र थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
3. उ0नि0 श्री प्रशान्त स्वरूप राय थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
4. का0 बृजेश सिंह यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर
5. का0 आयूष यादव थाना चौराखास जनपद कुशीनगर

Edit with WPS Office

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-
जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 30 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

__कार्यवाही एक नजर में=__
1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-44 वाहन
2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-30, व्यक्ति-82
3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(05)
4- जनपद में कुल गिरफ्तारी−(कुल-35)

__सोशल मीडिया सेल__
__जनपद कुशीनगर__

Edit with WPS Office